



## Indian Institute of Management Lucknow

Prabandh Nagar, IIM Road, Lucknow-226 013 (U.P.) India

भारतीय प्रबन्ध संस्थान लखनऊ

प्रबन्ध नगर, आई आई एम रोड, लखनऊ-226 013 (उ.प्र.) भारत

दिनांक: 11-09-2024

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आई. आई. एम. लखनऊ स्थित आम के बागों की फसल की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बागों में कुल फलदार वृक्षों की संख्या लगभग 550 है। यह फसल नीलामी वर्ष 2024-25 के लिए एक साल की होगी।

सभी इच्छुक फर्म/व्यक्ति आदि, जो उपरोक्त बागों की फसल लेना चाहते हैं वे श्री अंकित वर्मा, उद्यान सहायक (मो. 8563992287) या उद्यान विभाग फोन नं: **0522-669-6935** पर दिनांक 16/09/2024 से कार्य दिवस में प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:30 बजे के मध्य सम्पर्क कर पूरी जानकारी लेने के साथ ही बोली लगाने के लिए फार्म प्राप्त कर सकते हैं। सूचनीय है कि सीलबंद टेंडर डालने की तिथि: 30/09/2024, सायं 05:30 तक होगी। ये टेंडर संस्थान के मुख्य द्वार पर रखे टेंडर बॉक्स में डाले जा सकते हैं।

उपरोक्त विधि से प्राप्त बोलियों को दिनांक 01-10-2024 को सायं 03:00 बजे संस्थान के समाधान भवन के समिति कक्ष में हितधारकों जैसे- फर्मों/व्यक्तियों की उपस्थिति में खोला जाएगा जिसमें सम्बन्धित फर्मों एवं व्यक्तियों की उपस्थिति वैकल्पिक है।

• नीलामी से संबंधित विवरण के लिए संस्थान की वेबसाइट <https://www.iiml.ac.in/> का अवलोकन करें।

(मुख्य प्रशासनिक अधिकारी)



## Indian Institute of Management Lucknow

Prabandh Nagar, IIM Road, Lucknow-226 013 (U.P.) India

भारतीय प्रबन्ध संस्थान लखनऊ

प्रबन्ध नगर, आई आई एम रोड, लखनऊ-226 013 (उ.प्र.) भारत

मेसर्स .....

दिनांक: 11-09-2024

### विषय: आम के बागों के फसल की नीलामी वर्ष 2024-2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ परिसर में स्थित आम के बागों इत्यादि की फसल बेचने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है इस क्रम में संस्थान द्वारा लागू नियम व शर्तें, नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति या फर्म के लिए मान्य होगी।

इस नीलामी में बोली लगाने के लिए इच्छुक व्यक्ति या फर्म उपरोक्त फसल नीलामी हेतु अपनी बोली को लिखकर सील बन्द लिफाफे में रखकर दिनांक: 30-09-2024 तक भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ के मुख्य द्वार पर रखें टेंडर बॉक्स में डालना होगा। सील बन्द लिफाफे के ऊपर निम्न पता लिखें :

(आम के फसल की नीलामी के संबंध में)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ

नोट: सील बन्द टेंडर दिनांक 01-10-2024 को सायं 3:00 बजे समाधान भवन के समिति कक्ष में खोले जाएंगे

### मुख्य पाँच शर्तें:

1. नीलामी में भाग लेने वाले को ₹15,000/ (रुपया पंद्रह हजार मात्र) डिमांड ड्राफ्ट देय- भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ के पक्ष में अग्रिम धनराशि के रूप में टेंडर के साथ संलग्न करना होगा, जो कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात वापस की जायेगी।

ड्राफ्ट विवरण :

बैंक व शाखा का नाम	ड्राफ्ट संख्या व दिनांक	मूल्य

Tel : (+91-522) 2734101, 2734111-20, Tata Indicom (0522) 6696001 (30 Lines) Fax : (+91-0522) 2734025

NOIDA Campus : B-1 Institutional Area, Sector 62, Noida-201307 (U.P.) India

www.iiml.ac.in



2. संस्थान को 35 कुन्तल (पैंतीस कुन्तल अच्छे आम जैसे चौसा, आम्रपाली, दशहरी आदि) जून माह तक देना होगा।
3. संस्थान द्वारा फसल की न्यूनतम कीमत रु.1,75,777/- (एक लाख पचहत्तर हजार सात सौ सत्तर मात्र ) रखी गई है।
4. यह नीलामी एक वर्ष के आम के फसल हेतु होगी।
5. ठेकेदार को अपने खर्च पर ट्रैक्टर, कीटनाशक और जोताई की व्यवस्था करनी होगी, संस्थान इसमें कोई मदद नहीं करेगा।

### सामान्य नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. आम के पेड़ के समीप शीशम, सागौन तथा अन्य कीमती पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
2. बागों में पानी देने के लिए पाइप आदि का इन्तजाम ठेकेदार को स्वयं अपना व्यय पर करना होगा। संस्थान आपको केवल पानी मुहैया करायेगा।
3. टेन्डर फर्म में उल्लिखित धनराशि को डिमांड ड्राफ्ट के साथ में अवश्य सलंग्न करें।
4. निविदा प्रपत्र खुलने के बाद असफल व्यक्तियों को ई.एम.डी. व निर्धारित धनराशि की डी.डी. वापस कर दी जायेगी।
5. बाग में मौजूद किसी भी वृक्ष की लकड़ी न तो काटी जायेगी और न ही किसी अन्य प्रकार की क्षति पहुचाई जायेगी यदि आंधी अथवा किसी प्राकृतिक आपदा से किसी वृक्ष की डाल टूटकर गिरती है अथवा किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी सूचना फर्म द्वारा तत्काल उद्यान विभाग अथवा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को लिखित रूप में देनी होगी। इसे उठाने का प्रबंध, संस्थान की ओर से किया जाएगा। उस पर बागों की फसल लेने वाले व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।
6. ठेकेदार को बाग परिसर के वृक्षों, नए पौधों, और निदेशक आवास के आम के पेड़ों की सुरक्षा, गोबर खाद का प्रबंधन और गुड़ाई करने की विशेष जिम्मेदारी निभानी होगी, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या विफलता के लिए ठेकेदार को पूर्ण रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।
7. जो भी पेड़ लगाये गये हैं उनकी पूरी देखरेख करनी होगी। इसके बाद भी पेड़ मृत या सूख जाते हैं तो उसकी सूचना तत्काल संस्थान के सम्बन्धित अधिकारियों को लिखित रूप में देनी होगी। ताकि अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण करके क्षति का सही कारण सुनिश्चित किया जा सके, और यदि ठेका लेने वाले व्यक्ति की लापरवाही से ऐसा हुआ तो उसके ऊपर समुचित अर्थदण्ड लगाया जा सके, जिसका निर्णय मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।



8. फसल की देखरेख की जिम्मेदारी उर्वरक एवं कीटनाशक दवाईयों के छिडकाव सहित बागों को लेने वाले व्यक्ति (टेकेदार) की होगी। किसी किस्म के नुकसान के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा और न कोई क्षतिपूर्ति करेगा एवं प्राकृतिक आपदाओं द्वारा होने वाली फसल की क्षति की पूर्ति संस्थान की जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. नीलामी/टेंडर स्वीकृति की सूचना मिलने के 15 दिन के अन्दर बाग लेने वाले पक्षों द्वारा रु० 100/- मात्र के जनरल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र अग्रीमन्ट करना होगा स्टाम्प आदि का व्यय नीलाम /टेंडर लेने वाले व्यक्ति को वहन करना होगा। तथा 15 दिन के अन्दर पूरा नीलामी फसल का भुगतान संस्थान को करना होगा।
10. यह फसल नए टाईप 5 मकान, उमंग, उत्सव के पीछे स्थित बाग और डायरेक्टर बंगले के आम के पेड़ों के लिए होगी। संस्थान द्वारा चिन्हित किये गये बाग के अलावा संस्थान के अन्य किसी भी स्थान से कोई भी फलों को तोड़ने की इजाजत नहीं होगी।
11. यदि नीलाम /टेंडर में संस्थान द्वारा रखी गई रुपए 15,000/ की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के द्वारा नहीं पाई जाती है तो उसका फार्म निरस्त कर दिया जाएगा
12. यदि किसी कारणवश अधिकतम धनराशि देने वाली फर्म या व्यक्ति बागों की फसल लेने का इच्छुक नहीं होता है तो संस्थान को यह अधिकार होगा कि दूसरे अधिकतम फर्म/ व्यक्ति के पक्ष में नीलामी कर दे, यदि दूसरी अधिकतम फर्म /व्यक्ति भी फसल लेने की इच्छुक हुआ तो पूरी प्रक्रिया स्थगित कर दी जायेगी।
13. बागों की रखवाली के लिए जो श्रमिक रखे जायेंगे उसकी सारी जिम्मेदारी नीलामी लेने वाले व्यक्ति की होगी।
14. विवाद की स्थिति में निदेशक, आईआईएम लखनऊ का निर्णय सभी पक्षों के लिए मान्य होगा।
15. संस्थान में नीलामी किए जाने वाले बागों में आम के विभिन्न किस्म के पेड़ों की संख्या लगभग 550 है।
16. संस्थान में प्रवेश, ठहरने, संसाधनों का उपयोग और आम के खेप की निकासी के लिए गेट पास प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।

**आम के फसल टेंडर का प्रारूप 2024-2025**

फर्म/व्यक्ति का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष नंबर एवं संलग्न डी. डी. की विवरण	बागों की फसल हेतु धनराशि

